वैश्वीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्त्री शिक्षा का विश्लेषण

डॉ० सुरेन्द्र राम*

शिक्षा किसी भी समाज या राष्ट्र की आधारशिला होती है क्योंकि शिक्षा मानव निर्माण की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव की अन्तर्निहित शक्तियों का सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है। स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही एक प्रगतिशील समाज एवं राष्ट्र की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने धारा 45 के अन्तर्गत 6–14 वर्ष तक के सभी बच्चों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया था। जिसे 86 वाँ संविधान संशोधन करके बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया तथा 01 अप्रैल 2009 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 लागू किया गया। शिक्षा की यह अनिवार्यता सबके लिए है, चाहे वह किसी भी रंग, रूप, जाति, स्थान, धर्म अथवा लिंग का हो। राष्ट्र की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को भी समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि एक नारी किसी भी परिवार की धुरी होती है जो बच्चों में आदर्श आचरण एवं संस्कार विकसित करती है। बच्चा अधिकांश समय अपनी माँ के साथ रहता है और अपने माँ के आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। यदि महिलाएँ सचेष्ट एवं शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार जागरूक एवं सचेष्ट हो सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकता है। परन्तु वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति, उनकी साक्षरता की स्थिति, कन्या भ्रूणहत्या, नारी उत्पीड़न की घटनाएँ व्यभिचार, बलात्कार, यौन शोषण आदि की घटनाएँ महिलाओं की प्रगति में बाधक तत्त्व हैं जिसके मूल में निरक्षरता, असमानता एवं भेद–भाव है। प्रख्यात साहित्यकार प्रो० नामवर सिंह ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी की स्थिति का चित्रण करते हुए कहा है कि "नब्बे के दशक के बाद दुनियाँ तेजी से बदली है। आज हर चीज बिकाऊ हो गयी है। बाजारीकरण के इस दौर में महिलाओं पर भी संकट दिखायी दे रहा है।" (दैनिक जागरण)।

श्रीवास्तव (2011) द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार –

- 55 प्रतिशत भारतीय महिलाएँ व लगभग 50 फीसदी पुरुष पत्नियों के साथ मारपीट को सही मानते हैं।
- 40 प्रतिशत महिलाओं ने अपने विवाहित जीवन काल में घरेलू हिंसा को सहन किया है।
- 28 राज्यों की सवा लाख महिलाओं में से एक तिहाई ने स्वीकार किया है कि कम से कम एक बार उन्होंने पति द्वारा धक्का, झिझोड़ना, शारीरिक हिंसा व थप्पड़ मारे जाने वाले व्यवहार सहन किए हैं।

---

* उपाचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी–2

- 34 फीसदी महिलाओं ने थप्पड़ सहन किए हैं। 15 प्रतिशत के बाल खींचे व हाथ मरोड़ी गयी और 14 प्रतिशत के ऊपर वस्तुओं से वार किया गया।
- 64 प्रतिशत महिलाओं ने दो वर्षों के भीतर शारीरिक यौन हिंसा झेली है।

उपर्युक्त के आलोक में कहा जा सकता है कि आज भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। इसके अलावा दहेज हत्या एवं उत्पीड़न के मामलों में भी वृद्धि हुई है। इसे सन् 2002 से 2006 के आंकड़ों से सहज ही समझाया जा सकता है सारणी 1 में प्रदर्शित है।

सारणी –1 दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों का विवरण :

क्र0सं0	वर्ष	वारदातों की संख्या
1	2002	2816
2	2003	2684
3	2004	3592
4	2005	3204
5	2006	4504

स्रोत – दैनिक जागरण, (वाराणसी संस्करण) 8 मार्च 2011।

इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान समाज जहाँ एक ओर उत्तर आधुनिकता के युग में प्रवेश कर रहा है वहीं उसके समक्ष चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। वैश्वीकरण के इस वर्तमान युग में जबकि दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मानवीय दृष्टि से समानता कायम करने के प्रयास हो रहे हैं तथापि भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में स्त्रियों की प्रस्थिति को लेकर सिद्धान्त एवं व्यवहार में महत्त्वपूर्ण अन्तर देखने को मिल रहा है।

जनगणना (2011) के आँकड़ों के अनुसार देश में 62.37 करोड़ पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 58.65 करोड़ है। पिछली जनगणना के मुकाबले लिंगानुपात 933 से बढ़कर 940 हो गया है परन्तु कन्या भ्रूण हत्या के कारण 6 साल तक की आबादी में बालिकाओं का औसत पिछली जनगणना (2001) के 927 से घटकर 914 हो गया है जो कि भविष्य के लिए एक घातक संकेत है (दैनिक जागरण)।

गुप्ता (2004) के अनुसार – जुलाई, (1957) में योजना आयोग के एक शैक्षिक दल ने 'प्राथमिक, माध्यमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करके तथा यह देखने का प्रयास किया कि क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली लड़कियों को एक प्रसन्न व उपयोगी जीवन जीने के योग्य बनाने में सहायता करती है? एक समिति गठित करने का सुझाव दिया, जिसके लिए दुर्गा बाई देशमुख समिति (1957–59) का गठन किया गया। समिति ने लड़कियों की शिक्षा के महत्त्व, आवश्यकता व प्रसार, पाठ्यक्रम, प्रशासन, अध्यापक–प्रशिक्षण, अपव्यय व अवरोधन तथा अध्यापिकाओं के वेतन भत्तों व अन्य लाभ से

सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का उपयोग करने पर बल दिया गया तथा यह जोर देकर कहा गया कि स्त्री निरक्षरता तथा प्रारम्भिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का कार्य तीव्र गति से किया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रतिबद्धताओं को लागू करने के उद्देश्य से कार्यान्वयन कार्यक्रम (1992) में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गये –

- शिक्षा संस्थाओं में नारी विकास से सम्बन्धित सक्रिय कार्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे।
- अध्यापकों तथा अन्यों को नारी उत्थान की दिशा में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- छात्रवृत्तियों की दर को बढ़ाया जायेगा।
- स्कूल स्तर तक के अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
- कामन कोर पाठ्यक्रम में महिलाओं की नवीन स्थिति पर जोर दिया जायेगा।
- अध्यापकों, प्रशिक्षकों, प्रशासकों तथा योजनाकारों को महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा ।

उपरोक्त संस्तुतियों को लागू करने के क्रम में विभिन्न प्रकार की महिला केन्द्रित कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया गया जिसमें सर्वशिक्षा अभियान के तहत महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्राथमिक स्तर पर 50 प्रतिशत महिला अध्यापकों की नियुक्ति, महिला समाख्या योजना, कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना जिसमें बालिकाओं हेतु आवासीय शिक्षा की व्यवस्था करना, जहाँ पर बालिकाएँ मुक्त वातावरण में अपनी शिक्षा के साथ ही व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास कर सामाजिक–आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें, सम्मिलित है।

यद्यपि विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय, राजकीय, वैश्विक एवं स्वैच्छिक प्रयत्नों के फलस्वरूप महिला शिक्षा में अशातीत वृद्धि हुई है। जनगणना (2011) के ताजे आँकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता की वृद्धि दर पुरूषों की साक्षरता दर 6.88 फीसदी के मुकाबले 11. 79 फीसदी की दर से बढ़ी है तथा महिला साक्षरता की वर्तमान दर 65.46 तक पहुँच चुकी है परन्तु आज भी विद्यालय परित्याग एवं भेदभाव की घटनाएँ देखने–सुनने को मिल रही है जो कि दुःखद है। एक प्रगतिशील एवं सशक्त समाज के लिए महिलाओं का सशक्त होना अति आवश्यक है। महिलाओं का सशक्तिकरण वर्तमान समतामूलक समाज के लिए अपरिहार्य है तथापि परम्परागत सोच के कारण महिला शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से नहीं हो पा रहा है। महिला शिक्षा हेतु संचालित कार्यक्रमों को और भी सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है क्योंकि भौतिकतावादी मानसिकता के कारण आज विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार बढता जा रहा है। इस कारण कोई भी कार्यक्रम अपने अभीष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में पर्याप्त ईमानदारी एवं पारदर्शिता लायी जाय जिससे कार्यक्रमों का लाभ वंचित वर्गों तक सुलभ हो सके।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हमारा समाज प्राचीन से आधुनिक तथा आधुनिक से उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका है जहाँ पर लिंग, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, ऊँच–नीच आदि से सम्बन्धित परम्पराएँ शिथिल हो रही हैं तथा उनके स्थान पर नवीन मानक उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें नारियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, परन्तु कतिपय पुरूषवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों के कारण आज भी समाज में महिलाओं को उनका वास्तविक स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसकी परिणिति आज कन्या भ्रूण हत्या के कारण शिशु लिंगानुपात में गिरावट के रूप में हो रही है तथा असामानता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने हक के लिए घरों से बाहर निकलने लगी हैं। महिलाएं भी अपनी पसंद के अनुसार वर का चयन कर रही हैं। इस युग में पुरूषों की भाँति महिलाएँ भी नकारा पुरूषों से विवाह करने से मना कर रही हैं। यह सब महिला जागरूकता का प्रभाव है। महिला जारूकता के कारण ही जनसंख्या वृद्धि दर पिछली जनगणना के 21.65 फीसदी की तुलना में 2011 की जनगणना में 17.64 फीसदी तक पहुँच चुकी है। यह घटोतरी 3.90 फीसदी है जो आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है इसी प्रकार महिला जागरूकता के कारण ही साक्षरता की वर्तमान दर 74.04 फिसदी तक पहुँच गई है। विभिन्न स्तरों एवं मंचों से नारी आन्दोलन के स्वर मुखरित हो रहे हैं। नारी शक्ति का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारतीय महिलाओं का भी नाम है जिसमें एक नाम दलित महिला का भी है। शिक्षा एवं अपनी प्रतिबद्धता के कारण ही आज महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही है तथा सफलता भी प्राप्त कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा महिलाओं के लिए एक ऐसा हथियार एवं माध्यम है जिससे वह समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर, समाज के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ :

- गुप्ता, एस0पी0 (2004) : *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं,* शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद
- श्रीवास्तव, सीमा (2011) : *महिला हिंसा के खिलाफ सामुदायिक अगुवाई,* दैनिक जागरण, 8 मार्च।
- जनसंख्या वृद्धि दर में एतिहासिक गिरावट, दैनिक जागरण, 2011, वाराणसी संस्करण, 1 अप्रैल।